"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 121] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016—— चैत्र 12, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्रमांक-3330/डी. 109/21-अ/प्रारू./छ. ग./2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 01-04-2016 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्र 12 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016.

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहलायेगा।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा 8 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 8 में,-

(क) शब्द "अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट माल" के पूर्व, कोष्टक एवं अंक "(1)" अंतःस्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची-2 के भाग 3 के अनुक्रमांक 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट माल के विक्रय पर, उप-धारा (1) के अधीन कर की दर और ऐसी विनिर्दिष्ट रकम प्रति लीटर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाये, उद्ग्रहित की जा सकेगी ।"

धारा 13 का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की धारा 13 में,-

(क) उप-धारा (1) में,-

(एक) खण्ड (क) के उप-खण्ड (i) में; तथा

(दो) खण्ड (ख) में,

शब्द "या राज्य के बाहर माल के अन्तरण के रूप में" को विलोपित किये जाये; तथा

(ख) उप-धारा (5) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में, शब्द "या राज्य के बाहर माल के अन्तरण के रूप में माल के विक्रय के लिए" को विलोपित किये जाये।

धारा 19 का संशोधन.

4\. मूल अधिनियम की धारा 19 में,-

(क) उप-धारा (2) में, शब्द एवं कोष्टक "खण्ड (क)" के पश्चात्, शब्द एवं कोष्टक "या खण्ड (ख)" अन्तःस्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप-धारा (4) के खण्ड (क) के उप-खंड (तीन) की प्रविष्टि (4) को विलोपित की जाये।

धारा 22 का संशोधन.

5\. मूल अधिनियम की धारा 22 की उप-धारा (2) में, शब्द "इस प्रकार निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर की रकम के दो गुने से अनधिक ऐसी शास्ति व्यापारी पर अधिरोपित करेगा किन्तु वह निर्धारित की गई कर की रकम से कम की नहीं होगी." के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्टक "धारा 19 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (तीन) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज के अतिरिक्त, इस प्रकार निर्धारित या पुनः निर्धारित की गई कर

की रकम के दो गुने से अनधिक किन्तु निर्धारित की गई कर की रकम के डेढ़ गुने से अन्यून, शास्ति उस पर अधिरोपित करेगा.'' प्रतिस्थापित किया जाये।

6. मूल अधिनियम की धारा 48 की उप–धारा (4) के खंड (एक) के उप–खंड (क) में, शब्द ''दस'' के स्थान पर, शब्द ''पन्द्रह'' प्रतिस्थापित किया जाए। धारा 48 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 49 की उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– धारा 49 का संशोधन.

''(1) आयुक्त, स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें धारा 3 की उप–धारा (ख) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगा सकेगा और उस अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसी जांच करवा सकेगा, जैसी कि वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, उस पर ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, जो कि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो, पारित कर सकेगा :

परन्तु,–

(क) आयुक्त इस उप–धारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण तब नही करेगा, जबकि उस आदेश के विरुद्ध अपीलीय उपायुक्त अथवा बोर्ड के समक्ष अपील लंबित है या यदि, ऐसी अपील की जा सकती है तो उस समय का, जिसके कि भीतर वह फाइल की जा सकती है, अवसान नही हुआ है;

(ख) कोई पुनरीक्षण नही होगा,–

(एक) कर के भुगतान करने के संबंध में किसी व्यापारी का दायित्व अवधारित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध या निर्धारण के लिये इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी सूचना के विरुद्ध, निर्धारण आदेश पारित किये जाने के पश्चात् को छोड़कर; और

(दो) धारा 36 के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध.

स्पष्टीकरण.–आयुक्त के किसी ऐसे आदेश, जिसके द्वारा हस्तक्षेप करने से इंकार किया गया है, के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि यह किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश है.

8. मूल अधिनियम की धारा 54 की उप–धारा (2) में, शब्द ''शास्ति के तौर पर ऐसी रकम चुकाए जो अपवंचित कर की रकम के तीन गुने से कम किन्तु पांच गुने से अधिक नहीं होगी'' के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्टक ''धारा 19 की उप–धारा (4) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (तीन) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज के अतिरिक्त, शास्ति के तौर पर ऐसी रकम चुकाए जो अपवंचित कर की रकम के डेढ़ गुने से कम किन्तु दो गुने से अधिक नहीं होगी'' प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 54 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 64–क के परंतुक में, शब्द ''वहां आयुक्त ऐसी राशि का भुगतान करने पर शमन की अनुज्ञा दे सकेगा जो कि उस रकम के दुगुने से अधिक न हो.'' के स्थान पर, शब्द, अंक और कोष्टक ''वहां आयुक्त, धारा 19 की उप–धारा (4) के खण्ड (क) के उप–खण्ड (तीन) में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज के अतिरिक्त, ऐसी राशि के भुगतान करने पर शमन की अनुज्ञा दे सकेगा जो कि उस रकम के दुगुने से अधिक न हो.'' प्रतिस्थापित किया जाये । धारा 64–क का संशोधन.

अनुसूची–2 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की अनुसूची–2 में,–

(क) भाग–1, 2 एवं 4 के कॉलम (3) के शीर्षक में, अंक "8" के स्थान पर, अंक एवं कोष्टक "8(1)" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) भाग–2 के अनुक्रमांक 44 के कॉलम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"खाने का तेल, वनस्पति तेल एवं खली (आइल केक)
किन्तु नारियल तेल को छोड़कर"

(ग) भाग–3 के कालम (3) के शीर्षक में, शब्द, चिन्ह, अंक एवं कोष्टक "धारा 8 के अधीन कर की दर (प्रतिशत)" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्टक "धारा 8(1) के अधीन कर की दर एवं धारा 8(2) के अधीन कर की विनिर्दिष्ट रकम प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये;

(घ) भाग–3 के अनुकमांक 1 के कॉलम (3) में, अंक "25" के स्थान पर, अंक, कोष्टक, शब्द तथा चिन्ह "25 (प्रतिशत) + 1 रुपया प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये;

(ड.) भाग–3 के अनुकमांक 2 के कॉलम (3) में, अंक "25" के स्थान पर, अंक, कोष्टक, शब्द तथा चिन्ह "25 (प्रतिशत) + 2 रुपया प्रति लीटर" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(च) भाग–4 के अनुक्रमांक 1 के कॉलम (3) में, अंक "14" के स्थान पर, अंक "14.5" प्रतिस्थापित किया जाये।

निरसन तथा व्यावृत्ति.

11. (1) छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (क्र. 5 सन् 2015) को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उप–धारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई या अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई दायित्व, मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य, की गई कार्रवाई, अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत दायित्व समझी जाएगी।

रायपुर, दिनांक 1 अप्रैल 2016

क्रमांक-3330/डी. 109/21-अ/प्रारू./छ. ग./2016. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 1-4-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. होता, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 12 of 2016)

THE CHHATTISGARH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2016.

An Act to further amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No.12 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2016. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In Section 8 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) (hereinafter referred to as the Principal Act),- **Amendment of Section 8.**

(a) before the words "There shall be levied on goods", the parentheses and figure "(1)" shall be inserted; and

(b) after sub-section (1), the following shall be added, namely:-

"(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), on the sale of goods specified in serial number 1 and 2 of PART III of Schedule II, there may be levied a rate of tax under sub-section (1) and a specific amount per litre as may be notified by the State Government, from time to time."

3. In Section 13 of the Principal Act,- **Amendment of Section 13.**

(a) in sub-section (1),-

(i) in sub-clause (i) of clause (a); and

(ii) in clause (b),

the words "or for sale outside the state by way of stock transfer" shall be deleted; and

(b) in sub-clauses (i) and (ii) of clause (a) of sub-section (5), the words "or by way of sale outside the State, by way of stock transfer" shall be deleted.

4. In Section 19 of the Principal Act,- **Amendment of Section 19.**

(a) in sub-section (2), after the words and parentheses "clause (a)", the words and parentheses "or clause (b)" shall be inserted; and

(b) entry (4) of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4) shall be deleted.

5. In sub-section (2) of Section 22 of the Principal Act, for the words "impose upon him a penalty not exceeding twice the amount of tax so assessed, or re-assessed but shall not be less than the amount of tax assessed", the words, figures and parentheses "in addition to interest at the rate specified in sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4) of Section 19, impose upon him a penalty not exceeding twice the amount of tax so **Amendment of Section 22.**

assessed or re-assessed but not less than one and half times of the amount of tax assessed" shall be substituted.

Amendment of Section 48.

6. In sub-clause (a) of clause (i) of sub-section (4) of Section 48 of the Principal Act, for the word "ten", the word "fifteen" shall be substituted.

Amendment of Section 49.

7. For sub-section (1) of Section 49 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely:–

"(1) The Commissioner in respect of any order passed by any officer specified in clauses (b) to (f) of sub-section (1) of Section 3, may on his own motion call for the record of the proceeding in which such order was passed and on receipt of the record may make such enquiry or cause such enquiry to be made, as he considers necessary and subject to the provisions of this Act may, pass such order thereon, not being an order prejudicial to the dealer or person as he thinks fit:

Provided that ,–

(a) the Commissioner shall not revise any order under this sub-section, where an appeal against the order is pending before the appellate deputy commissioner or the Board; or where, if such appeal lies, the time within which it may be filed has not expired;

(b) no revision shall lie,–

(i) against an order determining the liability of a dealer to pay tax or against a notice issued under this Act for assessment except after an assessment order is passed; and

(ii) against an order passed under Section 36.

Explanation.–An order by the Commissioner, declining interference shall not be deemed to be an order prejudicial to the dealer or person.

Amendment of Section 54.

8. In sub-section (2) of Section 54 of the Principal Act, for the words "pay by way of penalty a sum which shall not be less than three times but shall not exceed five times of the amount of tax evaded", the words, figures and parentheses "in addition to interest at the rate specified in sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4) of Section 19, pay by way of penalty a sum which shall not be less than one and half times but shall not exceed two times the amount of tax evaded" shall be substituted.

Amendment of Section 64-A.

9. In the proviso to Section 64-A of the Principal Act, for the words "the Commissioner may allow composition on payment of a sum not exceeding twice such amount.", the words, figures and parentheses "the Commissioner may allow composition on payment of a sum not exceeding twice such amount, in addition to interest at the rate specified in sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (4) of Section 19." shall be substituted.

10. In Schedule-II of the Principal Act,- **Amendment of Schedule-II.**

(a) in the heading of column (3) of PART I, II, and IV, for the figure "8", the figures and parentheses "8(1)" shall be substituted;

(b) for the entry in column (2) of serial number 44 of PART II, the following shall be substituted, namely:-

"Edible oil, vegetable oil and oil cake excluding coconut oil"

(c) in the heading of column (3) of PART III, for the words, symbol, figure and parentheses "Rate of tax u/s 8 (percent)", the words, figures and parentheses "Rate of Tax under Section 8(1) and, a specific amount per litre under Section 8(2)" shall be substituted;

(d) in column (3) of serial number 1 of PART III, for the figure "25", the figures, parentheses, words and symbol "25 (percent) + 1 Rupee per litre" shall be substituted;

(e) in column (3) of serial number 2 of PART III, for the figure "25", the figures, parentheses, words and symbol "25 (percent) + 2 Rupees per litre" shall be substituted; and

(f) in column (3) of serial number 1 of PART IV, for the figure "14", the figure "14.5" shall be substituted.

11. (1) The Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2015 (No. 5 of 2015) is hereby repealed. **Repeal and saving.**

(2) Notwithstanding the repeal of the Ordinance mentioned in sub-section (1), anything done or any action taken, or any liability acquired, accrued or incurred, under the said Ordinance shall be deemed to have been done, taken, acquired, accrued or incurred under the corresponding provisions of the Principal Act.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.